

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/18/148

दिनांक:- 9/04/2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

**विषय:-केन्द्रीय कारागृहों/जेल डिस्पेन्सरियों में चिकित्सकों के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के विभिन्न आदेशों से जिन चिकित्सकों का पदस्थापन/कार्यव्यवस्था द्वारा राज्य जेल डिस्पेन्सरियों/केन्द्रीय कारागृहों में लगाया गया था, को तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित जेल डिस्पेन्सरी/केन्द्रीय कारागृह में बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पाबन्द करें एवं साथ ही सम्बन्धित जेल डिस्पेन्सरियों में कैम्प का आयोजन कर बन्दियों को नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें एवं उक्त कैम्पों में महिला बन्दियों हेतु महिला रोग विशेषज्ञों को उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा आपके अधीन उक्त जेल डिस्पेन्सरियों में चिकित्सकों से बन्दियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

19.4.18

निदेशक(जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/18/146

दिनांक:- 9/04/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2 निर्जी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन- सम्बन्धित।
- 7 प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें एवं सम्बन्धित को ई-मेल करावें।
- 8 निजि/आदेश पत्रावली।

19.4.18

निदेशक(जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर